disseminate information on various aspects of food processing. Emphasis for training rural women in the agro-ifood industries is given in the food processing training centres so as to ensure that they get "hands on' experience in setting up and managing small food process-sing utaits.

गुजरात में औद्योगिक एकक

54. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कौन-कौन से औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं और गुजरात में स्थित इन एककों में उत्पादित वस्तुओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान गुजरात में ऐसे एकक स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता । परन्तु इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० का ब्रेड, बन आदि तैयार करने वाला एक यूनिट अहमदाबाद म है । इस मंत्रालय द्वारा स्वयं गुजरात में कोई नया यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

कृषि आधारित उद्योगों का विकास

55. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1994 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ग) क्या सरकार का कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए समेकित विकास केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1994-95 के लिए कृषि आधारित उद्योगों के लिए राज्य-वार, विशेषकर गुजरात के लिए कितना आवंटन किया जाएगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) इस मंत्रालय, जो कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कुछ क्षेत्रों को देखता है, की विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 हेतु निर्धारित परिव्यय क्रमश: 40.00 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुप और 47.00 करोड़ रुपए है ।

(ख) निधियों का आवंटन राज्य-विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता क्योंकि कार्यान्वित की जा रही स्कीमें परियोजना विशिष्ट होती है । तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता में राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी निकायों/स्वैच्छिक संगठनों संयुक्त क्षेत्र आदि को दी जाने वाली सहायता शामिल होती है ।

(ग) और (घ) कृषि खाद्य उद्योगों के संवर्धन के लिए, कृषि खाद्य औद्योगिक एस्टेट्स के विकास हेतु एक प्रस्ताव चलाया गया है ।

(ङ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए राज्यवार आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।